

पूना 149 मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत 74 अनुसूचित नियोजनों में देय परिवर्तनीय महगाई भत्ता
 योजना मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत राज्या संख्या-194/30-3-2014-07 (न्युडब्लू)/4 दिनांक: 28-1-2014 द्वारा 59 तथा
 अधिसूचना संख्या-060/30-03-2019-931(न्युडब्लू)/06 दिनांक: 30 सितम्बर 2019 द्वारा 15 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मचारों हेतु मजदूरी
 की भूल वरी एवं परिवर्तनीय महगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो वरी मासिक आधार पर निर्धारित की गयी है उनकी दैनिक
 दर भूल मजदूरी और परिवर्तनीय महगाई भत्ते को 1/26 से कम तथा प्रति घंटे दर दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में निम्नलिखित 74 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उद्योगिका सुचकांक अक्टूबर वर्ष (2001-100)
 माह जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 341 अंकों के ऊपर जुलाई 2020 से दिसम्बर 2020 के औसत अंक 341 अंकों पर दिनांक: 1.4.2021 से
 दिनांक 30.9.2021 तक की अगति हेतु परिवर्तनीय महगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की शर्ति गणना करते देय होगा:-

दृष्टान्त- रूपये-5750/- प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अक्षयल शंशी के कर्मचारियों को औसत उद्योगिका भूल सूचकांक-341 पर
 दिनांक 01-04-2021 से दिनांक 30-9-2021 तक की अगति हेतु देय परिवर्तनीय महगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।
 (341-216) X 5750-प्रतिमाहदर= 3328 / -

218

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह भूल मजदूरी परिवर्तनीय महगाई भत्ता मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें निम्नवत हैं:-

क्रमिक	श्रेणी	प्रतिमाह भूल मजदूरी रूपये में	दिनांक 01.10.2020 से 30.9.2021 तक	दिनांक 1.4.2021 से 30.9.2021 तक	दैनिक मजदूरी (रूपये में)	
1	2	3	4	5	6	7
1	अक्षयल	5750	3008	3328	9078	349
2	अक्षयल	6525	3309	3680	9885	384
3	कुशल	7085	3706	4100	11185	430

नियोजन के नाम:-

- रबर की विनिर्माणशाला और रबर उत्पाद/कार्बन और ट्यूब सहित) के उद्योग।
- प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग।
- विद्युत उद्योग।
- शक्ति मेशी (एरोटेड ड्रिक्स) के विनिर्माण।
- मशीनें के रस्ते की विनिर्माणशाला।
- परलवार लकड़ी (स्पाईटुड) के उद्योग।
- पेट्रोल और डीजल आयल पम्प।
- उद्रे और मिल्क डेरी।
- निले शिंताये पापडों की विनिर्माणशाला।
- सौर तटबन्ध के निर्माण और अनुसंधान, सिंचाई परियोजनाओं युवाओं और पालकों की सुचारू।
- एक समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में नियोजन, जिन्का उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
- ब्राइटेड आइसलान्ड(निर्मित शोर्स) एवं माइग्रेट क्लीनिकों और प्राइवेट क्लीनिकों और शोर्स चामान की दुकानों।
- बलाई घर।
- शानु उद्योग।
- टिन स्लेट शोपिंग और टिन प्रिंटिंग।
- एके अनिचक्षण उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
- थर्म शोबनशाला और चर्म विनिर्माण शाला।
- थर्म कपडु विनिर्माण उद्योग।
- पेजरी सक्में।

42. विद्युतवाही।
43. कोरल स्टोरेज।
44. फाल्सी मिनिमिक्स या रिफैक्ट्रीज।
45. निजी मुद्रणालय।
46. सिनेमा लघोग।
47. कपड़ा डिपार्ट।
48. सिगार डिप्टोम।
49. एल्युमिनिम, आपूर्तिक, यूनानी फार्मसी।
50. खलव।
51. स्थकरघासिलक की लाली की गुनाई। लकी के कार्य।
52. कपड़ा धोने या प्रसावन के सायुन या सिथिकोट या सायुन का चूर्ण या प्रसालक डिनिर्मोण।
53. लकी कम्बल बनाने के अडिप्टान।
54. रसपट्टावाही।
55. एधकरघा लघोग।
56. शक्ति सानित करवा लघोग।
57. डोटो(मिनीएचर) बल्ब एचय कोण लघोगों के निर्माण।
58. कपड़ा, गला और रंगर बोर्ड लघोग।
59. ड्रेड बट्टा लघोग।
60. लाला लघोग के नियोजन मे।
61. वीरल के बर्तनी एवं पीतल उत्पाद के निनिर्माण के नियोजन।
62. किसी निजी सुरक्षा और सेवा प्रदाता अभिकरण में नियोजित सुरक्षा कर्मी(सुरक्षा कर्मियों) जिन्हें हथियार सजित/दक्षिणार शरिफ आदि कर्मी तन्मिशित हो।
63. बुहारने और सफाई में नियोजन, जिसने सफाई कर्मीवाही नियोजन एवं शुचक सौचालयों का निर्माण(प्रतिशोध) अधिनियम, 1983 के अन्तर्गत के निर्दिष्ट किचा-कलाप तन्मिशित नहीं है।
64. डरले, कानभारी का नियोजन।
65. कम्प्यूटर हाईवेयर लघोग एवं सेकडों में नियोजन।
66. एलएपीजी0 धितरण एवं संचालित सेवाओं में नियोजन।
67. डैकलीज, आटोसिक्सा/टैम्पो एवं इंचेसिन अभिकरण में नियोजन।
68. केंचित आपरेटर एवं संचालित सेवाओं में नियोजन।
69. गैर सरकारी संगठन(एनओएनजी0) एवं संचालित सेवाओं में नियोजन।
70. विद्युत संचयन(विद्युत संचयन(सेवा शरी)अधिनियम 1976 के लक्षीन तन्मिशित अथवा तन्मिशित विद्युत जाने वाले किसी लघोगों में) में नियोजन।
71. इन्टर कटिंग सैलून एवं लूटी पार्सन(पुस्तक एवं सहेलादी) में नियोजन।
72. कारपोरेट कार्यालयों में नियोजन।
73. काल सेक्टर/आर्टिस्टी0 इन्डस्ट्रीज/टैलीकॉमिग सेवाओं आदि में नियोजन।
74. ऐसे प्रतिष्ठान जो किसी अनुसूचित नियोजन के अधीन आनछादित न हों, में नियोजन।

(कल्पना श्रीवास्तव)
 उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
 एते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।
 संख्या 386-6 (पूजा)न-(एम0डब्लू0)/15 दिनांक 11/5/2024

प्रतिनिधि-
 1. चण्डन शंकर अग्र/उप श्रम आयुक्त, 3090 को इस आह्वय से प्रेषित कि उमीनरुध अभिकारियों को अग्रगत करतमें तथा श्रमिका,